09/2/21

आज पत्रावली मूल दावा के लिए पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज अपर उपखण्ड अधिकारी (वाद) के समक्ष की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यह पत्रावली सीमांकन कार्यवाही हेतु पत्रावली अपर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष की जाती है कि अपर उपखण्ड अधिकारी के स्थानांतरण आदेश जारी किये से पूर्व के जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। केवल इकरारनामा नम्बर दे कर ही वाद निकाल दिया जाता। मूल दावा रद्द।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested